संख्या-229/2019/2582/22-2-2019-17(1086)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 30 दिसम्बर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटन्ना पुत्र श्री पुत्तू, निवासी जनपद-सीतापुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5-दयायाचिका(बैठक-06.08.2019) दिनांक 06.09.2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, सीतापुर में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी छोटन्ना पुत्र श्री पुत्तू, जो-रसूलाबाद, थाना-सदरपुर, जनपद-सीतापुर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 23.03.1979 को 20 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर गन्ने की पत्तियों से जला कर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-428/1979 में भा0द0वि0 की धारा-302/149, 452, 364, 201, 511 के अन्तर्गत मा0 द्धितीय अपर सत्र न्यायाधीश, सीतापुर के आदेश दिनांक 23.02.1982 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। जिला स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 16.05.2018 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है। किन्तु मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक सीतापुर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का घोर विरोध किये जाने की आख्या अंकित करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, काटी गयी सजा व कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी छोटन्ना (बंदी संख्या-453/2016) पुत्र श्री पुत्तू, निवासी जनपद-सीतापुर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-229/2019/2582(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सीतापुर ।
2- अधीक्षक, जिला कारागार, सीतापुर ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in